

विचार बिन्दु

जीवन में सबसे अच्छा दोस्त वह है, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बाहर लाता है। -हेनरी फोर्ड

आवश्यकता है, चुनाव कानूनों में बदलाव की

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही जीवन के विकास का नियम है। परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है। परिवर्तन के कारण ही जीव का जन्म होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया कि परिवर्तन संसार का अटल नियम है। यह सार्व भौमिक है। अतः कानून में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह समय की पुकार है। कानूनों में सुधार करना संशोधन करना विकास के लिये अति आवश्यक है। संविधान में भी अनुच्छेद 368 में संशोधन की विशद विवेचना तथा प्रक्रिया दी है। भारत के संविधान में अब तक 102 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं और अनेक पाइप लाइन में हैं।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसने अपने लिये एक संविधान बनाया जो 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। संसद व विधान सभाओं में कानून बनते हैं और समय-2 पर उनमें संशोधन होते हैं तथा आवश्यकता न रहने पर वे रिपील भी कर दिये जाते हैं।

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सरकार का गठन चुनावों की प्रक्रिया से होता है। स्वतंत्र चुनाव कमीशन कराता है जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसे कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव के लिये चुनाव कानून है। मतदान से चुनाव होता है। कानून से मतदाता लिस्ट बनाई जाती है। चुनाव के लिये प्रमुख कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है। इस कानून के अनुसार संसद व विधान मण्डलों के सदस्यों के हेतु चुनाव कराने की प्रक्रिया दी गई है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों में देश में काफी परिवर्तन हो चुका है। इसलिये समय के साथ हमें अपने कानूनों में भी परिवर्तन/संशोधन लाना होगा। बांग्लादेश पड़ोसी देश के लोग भारत में अनाधिकृत प्रवेश कर रहे हैं। फर्जी रूप से मतदाता बनकर चुनावों में मतदान कर रहे हैं और चुनावों के रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन व एआई के कारण कई परिवर्तन हो रहे हैं। देश में अब किसी न किसी भाग में चुनाव हो रहे हैं। देश में पूरे वर्ष चुनाव का वातावरण बना रहता है। इसके कारण विकास के कार्य रूक जाते हैं। आवश्यकता है 'एक देश एक चुनाव' की। कैसे इस समस्या से निपटा जावे, इस बाबत संसद में बिल भी पेश हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव 2029 से पहले संसद में पारित हो जावेगा, किन्तु कई कठिनाइयाँ इसके मार्ग में हैं। चुनाव में कई तरह के खर्चें बढ़ रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। फ्रीबीज के कारण सरकारों का बजट राज्य को कंगाल कर रहा है। मशीनों के स्थान पर पेंपर वेल्ट की ओर वापिस आने की बात कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उठा रही हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीनों की प्रमाणिकता पर मुहर लगा चुकी है।

परिसीमन के प्रश्न पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया केन्द्रीय सरकार के विरोध में सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। उनके अनुसार परिसीमन की कवायद के द्वारा केन्द्रीय सरकार दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों व राजनीतिक प्रभाव कम करने जा रही है। प्रस्तावित परिसीमन पर वार्ता के लिये तामिलनाडू के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 5 मार्च, 2025 को सर्वदलीय बैठक आहूत कर रहे हैं। उनका आंकलन है कि तामिलनाडू को आठ सीटों का नुकसान होगा, यदि जनसंख्या देश पर आधारित यह कार्य किया गया। सीटें 39 हैं, वे घटकर 31 रह जावेंगी। सर्वदलीय बैठक में अनाद्रमिक और पीएमके जैसे दल बैठक में भाग लेंगे, किन्तु भाजपा और उसके घटक दल इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस प्रसंग का उल्लेख केवल इसलिये किया गया है कि चुनाव सम्बन्धित सभी विषयों में कानून का अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हो रहे हैं। चुनाव में फर्जी मतदाता सूचियों का उल्लेख होता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम काटे व जोड़े जा रहे हैं।

चुनाव कमीशन के समक्ष कई विवाद चल रहे हैं। यह भी विवाद है कि दो अलग-2 राज्यों के मतदाताओं के वोट कार्ड पर एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड (पहचान पत्र) नम्बर को लेकर विवाद है। आयोग ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि एक जैसे एपिक नम्बर का अर्थ यह नहीं है कि लिस्ट में फर्जी मतदाता हैं।

दिल्ली के चुनावों में वोटर्स लिस्टों को चुनौती दी गई है। फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध संगीन अपराध के केसेज चल रहे हैं, उन्हें चुनाव में खड़ा किया जाता है। उम्मीदवार के लिये शिक्षित होने की कोई शर्त नहीं है। कई बातें जो नोमिनेशन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है। नामांकन पत्र में शिक्षा का कॉलम है, किन्तु अशिक्षित होने पर भी वह खड़ा हो सकता है। मुकदमें (फौजदारी) चल रहे हैं फिर भी इस आधार पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य परिभाषित अनुच्छेद 51क में किये गये हैं; किन्तु उसकी पालना न होने पर भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। मूल कर्तव्यों में प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई है कि वह हिंसा से दूर रहेगा, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा। देश में कहीं भी आन्दोलन हो, सरकारी वाहनों व सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, सड़कें तोड़ी जाती हैं, आगजनी होती है और रेल्वे की लाइनें उखाड़ी जाती हैं और जनता का मार्ग अवरोध किया जाता है। कर्तव्यों में यह अपेक्षा की है कि प्रत्येक नागरिक भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, किन्तु हमारा आचरण इसके विपरीत है। क्या ऐसे व्यक्ति संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य होने चाहिये?

समय की पुकार है हमें हमारे चुनाव कानूनों को देश के विकास के लिये नई सोच के अनुरूप बनाना होगा। अतः आवश्यकता है हम चुनाव कानून में संसद सदस्य/विधानसभा के सदस्य के लिये योग्यता (Qualification) का निर्धारण करें। कानून बनाने वाला कम से कम बी. ए. तो पास होना ही चाहिये। इसी प्रकार अयोग्यता (Disqualification) भी निर्धारित होने चाहिये। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना ही नहीं कर पा रहा है उसे आप कानून बनाने वाला कैसे बना सकते हैं?

चुनाव कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि चुनाव सम्बन्धित विवाद केवल चुनाव हो जाने के बाद ही एक विशेष ट्रिब्यूनल निर्धारित करे। इन दिनों यह देखने में आ रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधिकार के हेतु पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस पर अंकुश होना चाहिये। मतदाता सूची के मामले राज्य के चुनाव अधिकारी द्वारा तय किये जाने चाहिये और उसका निर्णय 15 दिन में होना चाहिये।

इन दिनों फ्रीबीज की सुविधाओं की बाढ़ आ रही है। फ्रीबीज एक प्रकार से वोट प्राप्त करने के हेतु रिश्ता ही है। इसका बंद होना आवश्यक है। केश बेनीफिट देना और मत प्राप्त करना अनैतिक है, इसके हेतु सजा का प्रावधान होना चाहिये। दायी व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार देना उचित नहीं है। संक्षेप में लेखक का अनुरोध है कि नया चुनाव कानून शीघ्र लाया जावे। 10वीं क्लास के बालक को चुनाव कानूनों का तथा संविधान का सामान्य ज्ञान देना चाहिये।

प्रश्न: यह देखने में आया है कि चुनाव याचिकाओं का निर्णय चुनाव की अवधि समाप्त होने तक नहीं होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को चुनाव पिटीशन की सुनने का अधिकार दिया है, उनके पास अपना कार्य करने के लिये भी समय नहीं होता, फिर वे कैसे न्याय कर सकते हैं?

संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिन्हें 'Sunset Law' के नियम के अनुसार लागू करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण होगा, किन्तु यह कहा गया है कि इस संविधान के उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि आरक्षण 10 वर्ष बाद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और 10 वर्ष के स्थान पर प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ा दिया जाता है। आज यह प्रावधान 10 के स्थान पर 80 हो गया है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में तथा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है; किन्तु आज तक सुनवाई इस पर नहीं हुई। सम्भवतः लगभग 20 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है।

संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है। इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में केवल यह स्पष्ट किया है कि इन तत्वों को कोई न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिये बनाई जाने वाली विधि मूल अधिकारों से असंगत नहीं होगी। वस्तुतः नीति के निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। लेखक के मत के अनुसार यह व्यवस्था कुछ समय के लिये थी, किन्तु इसके कारण संविधान की अवज्ञा नहीं की जा सकती। समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का कर्तव्य है 75 वर्षों के बाद भी इसे लागू न करना संविधान की अवमानना है। संवैधानिक दृष्टि से भाग 4 में वर्णित कर्तव्य भाग 3 के मूलभूत अधिकारों से भिन्न नहीं है। भाग 3 के मूल अधिकार राजनीतिक मूल अधिकार हैं और भाग 4 के कर्तव्य राज्य के सामाजिक व आर्थिक कर्तव्य हैं।

संविधान के कई अनुच्छेद जिनमें अनुच्छेद 334, 343, 44, 45, 48ए, 50 आदि को हमें विकसित भारत की दृष्टि से देखना होगा।

अतः भारत की जनता, राज्य से अपेक्षा करती है कि चुनाव कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है और शीघ्र से शीघ्र चुनाव कानून नई कानूनी सोच के अनुसार बने अथवा उनमें संशोधन हो। भविष्य में आने वाले चुनाव तब भारत को विकसित देश बनाने का राष्ट्र का संकल्प होना चाहिये। गत कई वर्षों से संसद व विधान सभाओं में हंगामे व शोरगुल में ही समय नष्ट होता है और सतत व समत विकास का कार्य नहीं होता, नये भारत के निर्माण के कार्य को गति प्राप्त होनी चाहिये। अतः नियम बनाना चाहिये सदन में बहस हो, चर्चा हो, किन्तु शोरगुल व हंगामा तथा असभ्य भाषा का प्रयोग न हो और ऐसा करने वाले सदस्यों को सत्र से निष्कासित माना जावे और पूरे सत्र का भत्ता न दिया जावे। मेरे देश तेरी जय हो, जय हो, जय हो।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

किशोरों की आवाज़ : स्वास्थ्य सेवा मूल्यांकन में किशोरों की भागीदारी

किशोरों को आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में उजाला क्लिनिक सेवाओं के मूल्यांकन में कार्यशाला द्वारा शामिल किया

किशोरावस्था मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें कई विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना होता है किन्तु जब किशोरावस्था के संदर्भ में खास स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाई गई हैं, तो किशोरों की आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। जनवरी-मार्च 2024 के बीच किए गए एक सहभागी शोध अध्ययन ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसमें किशोरों को आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में उजाला क्लिनिक सेवाओं के मूल्यांकन में कार्यशाला द्वारा शामिल किया गया।

इस अध्ययन में 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों को शामिल किया गया, जो तीन स्थानीय स्कूलों- विद्या भवन पब्लिक स्कूल, विद्या भवन सीनियर सेकेडरी स्कूल और सीडिलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल से थे। इन किशोरों ने क्लिनिक की सेवाओं का मूल्यांकन करने में सक्रिय भूमिका निभाई। वे केवल उपभोक्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने मूल्यांकन को डिजाइन करने, प्रश्न तैयार करने और एकत्र किए गए डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण करने में भी योगदान दिया। किशोरों द्वारा पहचानी गई प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी विषयों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि चिंता, अवसाद और पारिवारिक दबाव शामिल थे।



उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की छवि (बॉडी इमेज) और व्यायाम/फिटनेस की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की। यौन स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि कई किशोर खुद को गर्भ निरोधक उपायों और यौन संचारित रोगों की जानकारी के मामले में अज्ञान और अनभिज्ञ महसूस कर रहे थे।

प्रतिभागियों ने उजाला क्लिनिक के भौतिक वातावरण को लेकर भी समस्याएँ उठाईं, जिसमें सफाई की कमी और निजता के अभाव को मदद

लेने में प्रमुख बाधा बताया गया। क्लिनिक के मंद रोशनी वाले माहौल की ओर इशारा करते हुए एक प्रतिभागी ने बोला, उजाला क्लिनिक में कोई 'उजाला' नहीं है, हालाँकि, कर्मचारियों के साथ बातचीत ज्यादातर सकारात्मक रही। किशोरों ने उजाला क्लिनिक के कर्मचारियों की मित्रवत, सहनशीलता और सहायक प्रकृति की बहुत सराहना की।

एक प्रतिभागी ने साझा किया, मुझे नहीं लगा था कि उजाला क्लिनिक में मैं हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करूँगी और इतनी

शांतिपूर्वक हमसे बात करेगी। उन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस स्वागतपूर्ण रवैये ने किशोरों को संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने में सहज महसूस कराया।

इस अध्ययन के सहभागी दृष्टिकोण ने किशोरों को प्रेरित किया और उन्हें अपने स्वास्थ्य सेवा अनुभवों पर अधिक नियंत्रण का अनुभव करने का अवसर दिया। एक प्रतिभागी ने कहा, अगर कोई आता है, तो वे हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन इस बार हमने सवाल पूछाईं। रिविट और रचनात्मक

गतिविधियाँ, जैसे कि रोल-प्ले, समूह चर्चा और संगीत, विशेष रूप से सराहे गए। एक प्रतिभागी ने कहा, हमें चार्ट बनाना और अलग-अलग तरीकों से काम करना बहुत मजेदार लगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन तरीकों ने कार्यशाला को अधिक रोचक और जानकारीपूर्ण बनाया।

किशोरों ने क्लिनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए, जिनमें सेवाओं के बेहतर प्रचार-प्रसार, निजता सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने और गैर-आलोचनात्मक स्थान बनाने पर जोर दिया गया, जहाँ युवा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर खुलेआम चर्चा कर सकें। प्रतिभागी अपने स्कूलों में अपने साथियों के साथ एकत्रित जानकारी साझा करने को लेकर भी उत्साहित थे। एक प्रतिभागी ने सुझाव दिया, हम अपनी असेंबली में 5 मिनट ले सकते हैं और किशोरों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष इस बात को उजागर करते हैं कि उन स्वास्थ्य सेवाओं का आकार देने में किशोरों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है जो उनके लिए बनाई गई हैं। उनके विचार भविष्य में वास्तविक सुधार ला सकते हैं और यह दिखाते हैं कि जब युवाओं को भाग लेने का अवसर दिया जाता है, तो वे उन सेवाओं में सार्थक योगदान दे सकते हैं जिन पर वे निर्भर हैं।

संविधान के हर पहलू से रूबरू करवाता है 'संविधान कक्ष'

जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने देश के संविधान को पूरी तरह समर्पित एक संविधान कक्ष का निर्माण करवाया है

जयपुर। पीएमश्री विद्यालयों में किए जा रहे नवाचार अब प्रशंसा बटोर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशन में विद्यालयों में नवाचार किए जा रहे हैं। नई सोच, नए प्रयास नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण पेश किया है जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे स्थित पीएम श्री

में योगदान देने वालों डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पं. जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सचिदानंद सिन्हा, प्रो. के. टी. शाह, एच. वी. कामध, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा



■ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशन में विद्यालय में किए जा रहे विभिन्न नवाचार

■ जोधपुर के बावड़ी कस्बे स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अनोखे नवाचार ने बटोरी प्रशंसा

■ विद्यालय में बनाया गया है संविधान कक्ष, संविधान निर्माण से जुड़ी अद्भुत जानकारियों का किया गया है संकलन

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने। विद्यालय ने देश के संविधान को पूरी तरह समर्पित एक कक्ष का निर्माण करवाया है, जिसे संविधान कक्ष का नाम दिया गया है। यह कक्ष न केवल विद्यार्थियों को संविधान से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से रूबरू करवा रहा है, बल्कि उनमें अपने देश के संविधान के प्रति आदर भाव भी बढ़ा रहा है।

सजा है महान विभूतियों की तस्वीरों से :-विद्यालय के संविधान कक्ष में संविधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं को समावेशित करते हुए संविधान निर्माण

स्वामी अय्यर, गोपालस्वामी आर्यंगर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौधरी रणबीर सिंह, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक जे एथोनी, प्रो. सिम्बन लाल सक्सेना, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयपाल सिंह मुंडा, महावीर त्यागी, टी प्रकाशम, के संधान के हनुमंथैया के फोटो तैयार कर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बी. ए. राव, नंदलाल बोस, एस एन मुखर्जी, एच वी आर आर्यंगर एवं प्रेम बिहारी नारायण रायजगदाद के योगदान भी याद किया गया।

नारी शक्ति के योगदान को भी

किया रेखांकित :-संविधान कक्ष में नारी शक्ति के महती योगदान को भी याद किया गया है। संविधान सभा में 15 महिलाएँ सदस्य थीं, महिलाओं के संविधान निर्माण में योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से सभी 15 महिलाओं अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू, लीला रे, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, बेगम एजाज रसूल, ऐनी मस्करिनी की तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई हैं।

यहाँ संविधान की है विस्तृत जानकारी :-भारतीय संविधान से सम्बंधी महत्वपूर्ण तथ्यों में संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, संविधान सभा के अधिवेशन, प्रारूप समिति, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियाँ, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उद्देशिका मूल कर्तव्य, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य आदि के चार्ट तैयार कर लगाए गए हैं। इसके साथ ही संविधान निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण तिथियाँ जैसे 9 दिसम्बर 1946, 26 नवम्बर 1949, 24 जनवरी 1950 के दिन के कार्यों की भी प्रदर्शित किया गया है।

अब लगाए जाएंगे ऑडियो सिस्टम :-अपनी देखरेख में संविधान कक्ष को तैयार करने वाले राजनीति विज्ञान के स्कूल छात्रछात्रा सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि संविधान की मूल कॉपी पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, संविधान सभा से संबंधित चित्र और संविधान सभा में विभिन्न सदस्यों के कथन आदि के पोस्टर लगाकर संविधान कक्ष को जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अगले चरण में संविधान सभा में कैमरे, संविधान कक्ष में मैटिंग लगाना, संविधान कक्ष में संविधान की मूल कॉपी रखने का कार्य किया जायेगा। साथ ही ऑडियो सिस्टम भी लगाया जायेगा ताकि संविधान व संविधान कक्ष से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ साझा की जा सके।

शुरुआत से ही बच्चे जाने अपना संविधान :- संविधान कक्ष जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दिनेश गहलोत की देखरेख में तैयार हुआ है। उनका कहना है कि संविधान कक्ष बनाने के पीछे लक्ष्य यह था कि नई पीढ़ी शुरुआत से ही संविधान के बारे में जानें। यह किन परिस्थितियों में तैयार हुआ, किन-किन लोगों की भागीदारी रही जैसी बातें उन्हें पता चलें। पीएम श्री विद्यालयों में नागरिक सहभागिता के तहत यह किया गया है।

यह कदम बेहद कारगर साबित हो रहा है। प्रधानाचार्य अंजना दवे सहित विद्यालय परिवार व भामाशाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राशिफल शुक्रवार 7 मार्च, 2025



पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:32 तक, प्रीति योग सायं 6:14 तक, बव करण प्रातः 9:19 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:45 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:32 से आरम्भ होगा। आज दुर्गाष्टमी है। आज से होलाष्टक आरम्भ होगा और अष्टानिका महापर्व आरम्भ (जैन) होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:16 तक, लाभ-अमृत 8:16 से 11:11 तक, शुभ 12:38 से 2:05 तक, चर 5:00 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 6:27

मेघ
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बरने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में/आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्य-पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बरने लगेगे। दिन के मध्य-पश्चात आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या
आज शुभ-मांगलिक कार्यों के स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बरने लगेगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्य-पश्चात अटक हुए कार्य बरने लगेगे।

वृश्चिक
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। बरने कार्य बिगड़ सकते हैं।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बरने लगेगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-परिवार में चल रहे आपसी विवाद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।